

न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा जिला नागौर

निर्णय दिनांक:- 16.3.2017

मिसल नम्बर :- 254/2017

पत्रावली आज पेश हुई ।

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का.....मूण्डवा.....ने भू.अभिलेख निरीक्षक.....मूण्डवा से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी सम्पत.राज पुत्र जयराज.राज जाति राजपूत निवासी मूण्डवा ने मौजा/राजस्व ग्राम मूण्डवा के खसरा नम्बर 1591 रकबा 0.02 बीघा किस्म भूमि गो.भू.प्रा. पर संवत् 2072 में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है।

इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित। परन्तु किये गये अतिक्रमण के पक्ष में कब्जे के सबूत बाबत कोई सन्तोषजनक जबाब अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। पुराने कब्जे के बाबत भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अनुसार अतिक्रमी का मुतनाजा अराजी पर कब्जा है। एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त अतिक्रमी भूमि से बेदखली आदेश दिये जाते है। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप लगान 0.05 प्रतिवर्ष का 50 गुणा कुल 31 रुपये बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अतिक्रमी को अतिक्रमण स्थल से भौतिकरूप से बेदखल करके फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करे साथ ही जुर्माना वसूल कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसील राजस्व लेखाकार (टी.आर.ए.) व पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करे।

निर्णय सर इजराय सुनाया गया। पत्रावली निर्णीतशुमार होकर नम्बर से कम हो।

मोहर

शु. 2016-17
क्र.पृ. 6
जुर्माना 3
वेधर जुर्माना

मूण्डवा

तहसीलदार मूण्डवा
जिला नागौर